

व्यक्तिगत सूचना	प्रथम नाम		मध्य नाम		अंतिम नाम		स्थायी लेखा सं. (पैन)		
	फ्लैट / घार / ब्लाक सं0		परिसर/भवन /गांव का नाम				जन्म तिथि (तिथि/मास/वर्ष) / /		
	मार्ग/गली/डाकघर		क्षेत्र/ अवस्थान				नियोजन प्रकर्ष (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> सरकार <input type="checkbox"/> सार्वजनिक सेक्टर एकक <input type="checkbox"/> अन्य		
	नगर/ शहर/ ज़िला		राज्य		पिन कोड			लिंग (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> स्त्री	
ई मेल पता		(एसटीडी कोड)- फोन नंबर ()							
विवरणी की प्राप्ति	निर्धारण अधिकारी का पद नाम (वार्ड/सर्किल)				किस धारा के अधीन विवरणी फाइल की गई है - [कृपया अनुदेश सं-9(i) देखिए]		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	विवरणी मूल है या पुनरीक्षित है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> मूल		<input type="checkbox"/> पुनरीक्षित		
	यदि पुनरीक्षित है तो रसीद सं0 और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें। (तिथि/मास/वर्ष)						/ /		
	निवास की प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> निवासी	<input type="checkbox"/> अनिवासी	<input type="checkbox"/> निवासी किंतु मामूली तौर पर निवासी नहीं		
आय और कठौतियाँ	1	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (वेतन/ पेंशन)				1			
	2	'अन्य स्रोतों' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (ब्याज)							
		क	पारिवारिक पेंशन	2क					
		ख	ब्याज	2ख					
		ग	योग (2क+2ख)				2ग		
	3	सकल कुल आय (1+2+ग)				3			
	4	अध्याय 6क के अधीन कठौतियाँ (धारा)							
		क	80 ग	ड	80घघ		झ	80 छछ	
		ख	80गगग	च	80घघख		ज	80 छछक	
		ग	80गगघ	छ	80 ड		ट	80 छछग	
		घ	80घ	ज	80छ		ठ	80 प	
		ड	कठौतियाँ (क से ठ का योग)				4 ड		
5	कुल आय (3-4ड)				5				
6	शुद्ध कृषि आय (यदि 5,000 रु. से अधिक है तो भरें)				6				
7	'संकलित आय' (5+6)				7				
कर की संगणना	8	क	'संकलित आय' पर संदेय कर			8 क			
		ख	शुद्ध कृषि आय की बाबत रिवेट			8 ख			
	9	क	'कुल आय' पर संदेय कर (8 क -8 ख)			9 क			
		ख	9 क पर अधिभार			9 ख			
		ग	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर सहित (9 क +9 ख) पर शिक्षा उपकर			9 ग			
		घ	संदेय कुल कर, अधिभार और शिक्षा उपकर (9 क +9 ख +9 ग)			9 घ			
	10	धारा 89 के अधीन छूट			10				
	11	धारा 90/91 के अधीन छूट			11				
	12	संदेय बकाया कर(9 घ -10-11)				12			
	इस क्षेत्र में कुछ न लिखें या स्टांप न लगाएं (बार कोड के लिए स्थान)								
	तारीख	13	क	धारा 234 क के अधीन संदेय ब्याज				13 क	
			ख	धारा 234 ख के अधीन संदेय ब्याज				13 ख	
		ग	धारा 234 ग के अधीन संदेय ब्याज				13 ग		
		घ	संदेय कुल ब्याज (13 क+13 ख+13 ग)				13 घ		
		14	संदेय कुल कर और ब्याज (12+13 घ)				14		
केवल कार्यालय उपयोग के लिए रसीद सं.									
प्राप्त करने वाले अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर									

टिप्पणी: मद 21 के स्तंभ 7 और मद 22 के स्तंभ 7 का योग क्रम सं. 15ख में लिखें।

अग्रिम कर और स्व निर्धारण कर संदाय के ब्यौरे						
कर संदाय	क्रम सं.	बैंच और शाखा का नाम	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (तिथि/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (₹.)
	i					
	ii					
	iii					
	iv					
	v					

अत्र अन्तरा (वार्षिक अन्तरा विशेषानि के सामग्रे के विपर्येक विभाग आंतरावहारा) कालांक कोड के लिए अन्तरेष्टा सं. ११(१) देखिया।

24 જાય રૂપના (વાયવ) રૂપના વિવરણી કે નાનાના સ્તરોના વિવરણી (જે ગુરુત્વાદી વિવરણી કરી શકતું હોય) (જે ગુરુત્વાદી વિવરણી કરી શકતું હોય)								
ક્રમ	કોડ	રકમ (રૂ.)	ક્રમ	કોડ	રકમ (રૂ.)	ક્રમ	કોડ	રકમ (રૂ.)
ક	001		ઘ	004		છ	007	
ખ	002		ડ	005		જ	008	
ગ	003		ચ	006				

25 कर छूट ब्याज आय (केवल रिपोर्ट करने के प्रयोजनों के लिए)

25

सत्यापन

में,.....(स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री श्री.....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूं कि विवरणी में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और यह कि उसमें वर्णित कुल आय की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्यतः कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2008-09 से संसंगत पर्व वर्ष की आय-कर के लिए प्रभार्य आय के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनसार हैं।

संग्रह

तारीख

गहा इनाधर करें→

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार किया गया है तो निम्नानुसार और ब्लौरा दें:		
कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर
[<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>]	यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपर्दि का हकदार है तो उसकी रकम (कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा भरा जाए) [27]	